भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4002
जिसका उत्तर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

+4002. श्री मोहम्मद आजम खां :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिन लोगों के नाम मुख्य न्यायाधीशों के पदों के लिए सुझाए गए हो उनका ब्यौरा क्या है और उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए नाम की सिफारिश की गई है ;

(घ) उन सिफारिशों की संख्या कितनी है जिन्हें स्वीकार किया गया है और कितनी को स्वीकार नहीं किया गया है और जो लंबित हैं उनकी संख्या क्या है ;

(ङ) उन्हें लंबित रखने और अनुशंसा स्वीकार न करने के क्या कारण हो ; और

(च) उनके संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : जी, हां। वर्ष 2019 (12.07.2019 तक) के दौरान उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के रुप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 9 प्रस्तावों की सिफारिश की है। जिनमें से 7 न्यायाधीशों को (i) छत्तीसगढ़, (ii) दिल्ली, (iii) हिमाचल प्रदेश, (iv) कर्नाटक, (v) मेघालय, (vi) राजस्थान और (vii) तेलंगाना के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के रुप में नियुक्त किया गया है।

आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों के रुप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 2 प्रस्ताव प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के उपबंधों के अनुसार प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के अधीन हैं।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ किया जाना, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों/मुख्य न्यायमूर्तियों की रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, परामर्शीय और एकीकृत प्रक्रिया है चूंकि, इसके लिए विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। अतः, रिक्तियों को भरे जाने के लिए समय-सीमा को उपदर्शित नहीं किया जा सकता।

****